रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256349 CG-DL-E-14082024-256349

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3130] No. 3130]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2024/श्रावण 22, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2024/SHRAVANA 22, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 13 अगस्त. 2024

का.आ. 3445(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्थितिक संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2202 (अ) द्वारा, तारीख 12 जुलाई, 2017 को एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

5123 GI/2024 (1)

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2202 (अ) तारीख 12 जुलाई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2202 (अ) तारीख 12 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"5. मानीटरी समिति. – केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक मानीटरी समिति का गठन करेगी, अर्थातु: -

(i)	जिला कलेक्टर, औरंगाबाद	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला कलेक्टर, अहमदनगर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iii)	जिला परिषद, औरंगाबाद का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iv)	जिला परिषद, अहमदनगर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामित किया जाएगा	सदस्य;
(vi)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(viii)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन;
(ix)	वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य, पदेन;
(x)	उप वन संरक्षक, अहमदनगर	सदस्य, पदेन;
(xi)	उप वन संरक्षक, औरंगाबाद	सदस्य सचिव, पदेन।

6. मानीटरी समिति के कार्य.- (1) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

- (2) ऐसे क्रियाकलापों, जो कि अधिसूचना के पैरा (1) की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।
- (3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्रारुप में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केन्द्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/17/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 12 जुलाई, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 2202 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2024

S.O. 3445(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Jaikawadi Bird Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2202 (E), dated the 12th July, 2017;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of the notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2202(E), dated the 12th July, 2017;

Now, therefore, in exercise of the of the powers conferred by the sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) read with the sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2202(E), dated the 12th July, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be respectively substituted, namely:-

"5. Monitoring Committee- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-

(i)	District Collector, Aurangabad	- Chairman, exofficio
(ii)	A representative of District Collector, Ahmadnagar	-Member, exofficio
(iii)	A representative of Zilla Parishad, Aurangabad	-Member, exofficio
(iv)	A representative of Zilla Parishad, Ahmadnagar	-Member, exofficio
(v)	One representative of Non-governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years	-Member, exofficio
(vi)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years	-Member, exofficio
(vii)	The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	-Member, exofficio
(viii)	Member of the State Biodiversity Board	-Member, exofficio
(ix)	The Senior Town Planner	-Member, exofficio
(x)	The Deputy Conservator of Forest, Ahmadnagar	-Member, exofficio
(xi)	The Deputy Conservator of Forests, Aurangabad	-Member-Secretary, exofficio.

- 6. **Functions of the Monitoring Committee.** (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
 - (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-V**.
 - (6) The Central Government may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/17/2015-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2202(E), dated the 12th July, 2017.